

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR(57)/2016- 1576

Dated: 27/7/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes, and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-90-38 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of the Sr. Manager Luhri HEP Stage-1, SJVN, Bithal Tehsil Rampur District Shimla for the construction of Luhri HEP Stage-1 at Bithal District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Kumarsain Tehsil.

It is further certified that:-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-90-38 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to (v)
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to (d)
- the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present. (H)
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

[Handwritten signature]
(Rohan Chand Thakur)
District Collector, Shimla

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 07-07-2017. At 3.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Shamathla claiming rights in Village forest area(s) 0-90-38 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Kumarsain were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Kumarsain, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-90-38 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 07-07-2017


Deputy Commissioner-Cum- Chairman


Er. R. K. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal





①

5

**OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), KUMARSAIN,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

**Proceedings of the meeting of the Sub- Divisional Level Committee constituted under
Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Rights) Act,2006.**

A meeting of the Sub Division Level Committee of Kumarsain Sub- Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Nipun Jindal, IAS, Sub Divisional Officer(C), Kumarsain, Distt. Shimla, H.P. on 07.06.2017 at 11:00 A.M. at Kumarsain in which the applications of the applicants of **Gram Sabha Shamathla** claiming rights in area measuring **00-90-38 hectares** of land in Forest Division Kotgarh for the **construction of Luhri HEP Stage I, Distt. Shimla** under FRA, 2006 duly processed and recommended by the **Forest Right Committee Rivali, Charaountha, Naula** were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and details discussions, the claim of the applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place: Kumarsain

Dated: 07-06-2017


SDO(Civil)-cum-Chairman,
Sub Division Level Committee (FRA)
Kumarsain
District Shimla


Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal


PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 07-07-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.


At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee have been approved to be processed under FCA.


The meeting ended with vote of thanks.



(Om P. Chandel)
ACF, Shimla Ft. Div.


(M.S. Chandel)
DFO, Theog

(Anita Kumta)
ZP member



(A.K. Verma)
DFO Chopal


(H.S. Negi)
ACF Ranjpur-cum-
D.F.O. Kotgoh.


(L. Negi)


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.


Er. R.L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal





अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शमाथला
विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27-07-2016

गणपूर्ति 310 / 617

प्रस्ताव संख्या -09

विषय: लूरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 विभाग/संस्था को S.J.V.N.J.
के निर्माण हेतु रिखाली, चडोटा, नौला
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित रिखाली-0.4706, चडोटा-0.0379 तथा नौला-0.3553 कुल-0.9038 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शमाथला की बैठक आज दिनांक 27-07-2016 को 11 बजे बजे, स्थान कामलि शूटिंग 50 शमाथला में
की गई, जिसमें S.J.V.N.J. विभाग/संस्था को लूरी जलविद्युत परियोजना चरण-1
के निर्माण हेतु रिखाली, चडोटा, नौला जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0.9038 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी
प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.9038 हैक्टयर वन भूमि को लूरी जल
विद्युत परियोजना चरण-1 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शमाथला की
सहमति दी जाती है।

स्थान ग्राम पंचायत शमाथला
दिनांक 27-07-2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा शमाथला



प्रधान Melna
ग्राम पंचायत शमाथला
विकास खण्ड नारकण्डा
जिला शिमला (हि.प्र.)

Secretary
Secretary
Gram Panchayat Shamathla
Block Narkanda Distt. Shimla
(HP)

Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा रिवाली
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या - 05
.....10/10

दिनांक 27-07-2016

वन अधिकार समिति ग्राम सभा रिवाली बज की बैठक आज दिनांक 27-07-2016
को 11 बजे, स्थान रिवाली में श्री/श्रीमति राजेन्द्र चौहान
की अध्यक्षता में की गई जिसमें रिवाली गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
..... जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें SJVNL विभाग द्वारा जल **विद्युत परियोजना के
निर्माण के लिए 0.4706 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
इस गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स० * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

- 1.
- 2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स० * पात्र गांव वासी का नाम

- 1.
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

..... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....
दिनांक.....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

Braden

प्रधान,
वन अधिकार समिति
रिवाली

* ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है



प्रधान Melna
ग्राम पंचायत ग्रामाथला
विकास खण्ड नार्कण्डा
जिला शिमला (हि.प्र.)

Secretary
Gram Panchayat, Shimla Tole
Block Narkanda Distt. Shimla
(HP)

Er. R. Negi
Head of project
SJVN, LHEP, Bithal

Braden Braden

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा - चरोटा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या - 05
10/19

दिनांक 27-07-2016

वन अधिकार समिति ग्राम सभा चक चरोटा की बैठक आज दिनांक 27-07-16
को 11 बजे, स्थान चरोटा में श्री/श्रीमति हर्षकाल चौहान
की अध्यक्षता में की गई जिसमें चरोटा गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें SJVN विभाग द्वारा सुरक्षा काल विद्युत परियोजना के
निर्माण के लिए 0.07.19 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1.
2.
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

Shamla
उपधान
वन अधिकार समिति
चरोटा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है



प्रधान
ग्राम पंचायत शिमला
विकास खण्ड नारकण्डा
जिला शिमला (हि.प्र.)

E. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, ZHEP, Bithal

Shamla
Secretary
Gram Panchayat, Shamla
Block Narkanda Distt. Shimla
(HP)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा नौला
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या - 05
10/10

दिनांक 29-07-2016

वन अधिकार समिति ग्राम सभा नौला की बैठक आज दिनांक 29-07-2016
को 11 बजे, स्थान नौला में श्री/श्रीमति बालिन्द्र
की अध्यक्षता में की गई जिसमें नौला गांव के अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें SJVN विभाग द्वारा लुई कलविधित पौद्रोद्यम के
निर्माण के लिए 0.3553 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
इस गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1.
2.
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।
या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....
दिनांक.....
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रधान
ग्राम सभा वन अधिकार समिति
नौला

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है



Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

R. Sharma
Secretary
Gram Panchayat, Sharma Khela
Block Narkanda Dist. Shimla
(HP)

Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SMI.-SR(57)/2016- 1575

Dated: 27/7/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 53-96-69 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of the Sr. Manager Luhri HEP Stage-1, SJVN, Bithal Tehsil Rampur District Shimla for the construction of Luhri HEP Stage-1 at Bithal District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Rampur Tehsil.

It is further certified that:-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 53-96-69 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to 
- the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above



(Rohan Chand Thakur)
District Collector, Shimla

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)



Er. S. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 07-07-2017. At 3.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Duttanagar & Nirath claiming rights in Village forest area(s) 53-96-69 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Rampur, no application was received from Gram Sabha claiming right in 53-96-69 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 07-07-2017


Deputy Commissioner-Cum- Chairman


Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal





PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 07-07-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.


At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee have been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.



(Om P. Chandel)
ACF, Shimla Ft. Div.



(A K Verma)
DFO Chopal


(Hemis Negi)


(M.S. Chandel)
DFO. Theog


(H.S. Negi)
ACF Rampur
D.F.O. Kotgarh

(Anita Kumta)
EP member



Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.


Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

P-15
2

**OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR BUSHAHR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

**Proceedings of the meeting of the Sub- Divisional Level Committee constituted under
Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Rights) Act,2006.**

A meeting of the Sub Division Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Nipun Jindal, IAS, Sub Divisional Officer(C), Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. on 05.06.2017 at 03:00 P.M. at Rampur in which the applications of the applicants of **Duttnagar Gram Sabha and Nirath Gram Sabha** claiming rights in area measuring **53-96-69 hectares** of land in Forest Division Rampur for the **construction of Luhri HEP Stage - I, Distt. Shimla** under FRA, 2006 duly processed and recommended by the **Forest Right Committee Badrash, Narola and Nirath** were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and details discussions, the claim of the applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place: Rampur Bushahr

Dated: 05-06-2017


SDO(civil)-cum-Chairman,
Sub Division Level Committee (FRA)
Rampur Bushahr
District Shimla




En. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal



कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि.प्र.)

9-14

(3)

रीता देवी
प्रधान

मो.: 94181 24084

Despatch
Dated 16/11/17

Sub-Divisional Officer (तह.) रामपुर, जिला शिमला
Rampur Bsr. Distt. Shimla (H.P.)

गांव डोई, डाक. बड़ाच

क्रमांक

दिनांक 08/02/2018

प्रेषक: प्रधान, ग्राम पंचायत नीरथ तह. रामपुर बुर्गाँव जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रेषित: भवननीय
उप-मण्डलिका (तह.)
उप-मण्डल रामपुर बुर्गाँव जिला शिमला (हि.प्र.)
विषय: ग्राम पंचायत नीरथ से विभिन्न कार्य योजना के संदर्भ में वन कार्यकार लोडिंग द्वारा अनापत्त प्रमाण का को

मान्यवली, यह कि ग्राम पंचायत नीरथ तह. रामपुर बुर्गाँव जिला शिमला (हि.प्र.) द्वारा विभिन्न कार्य योजना के संदर्भ में वन कार्यकार लोडिंग द्वारा चक्र नीरथ से अनापत्त प्रमाण का कार्य निष्पत्ती जारी है जो किम संभव है

- (1) लुधियाना सिविल परियोजना डिमाण्ड हेतु वन शुल्क के उपयोज हेतु वन शुल्क 42-2924 हेमट्टर की भरणी करे।
 - (2) उच्च विद्यालय नीरथ की रिमांड डिमाण्ड हेतु वन शुल्क 00-46-75 हेमट्टर वन शुल्क के उपयोज की भरणी करे।
- उपरोक्त कार्य योजनाएं ग्राम पंचायत नीरथ के तह. चक्र नीरथ के अन्तर्गत आती है शिमली पूर्ण आप्रवाहिक शुल्क की जा चुकी है स्वीकृत प्रकाश करने की प्रारंभ प्रपत्र की अतीति (आवश्यक कार्य) हेतु आजीव उपकरण शिमली (तह.) रामपुर बुर्गाँव की सेवा के अंतर्गत की जाती है

Gram Panchyat Nirath
Block Rampur, Distt. Shimla

Er. R. L. Negi
Head of Panchayat
B.M.N., LHEP, Bithal

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा नीरथ
विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 22-01-2017

गणपूर्ति 246 / 442

प्रस्ताव संख्या 05

विषय: लूटरी जल नियुक्त परियोजना चरण-1 विभाग/संस्था को SJVN
के निर्माण हेतु नीरथ नैरोला
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 35-51-65+0-81-31 हैक्टियर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु। = 35-32-96

ग्राम सभा नीरथ की बैठक आज दिनांक 22-01-2017
को 11 बजे प्रातः बजे, स्थान ग्राम पंचायत नीरथ में
की गई, जिसमें S.J.V.N विभाग/संस्था को लूटरी जल नियुक्त परियोजना चरण-1
के निर्माण हेतु नीरथ व नैरोला जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
35-32-96 हैक्टियर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 35-32-96 हैक्टियर वन भूमि को लूटरी जल नियुक्त परियोजना चरण-1 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा नीरथ की सहमति दी जाती है।

स्थान ग्राम पंचायत नीरथ
दिनांक 22-01-2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा नीरथ

Pradhi
Gram Panchayat Nirath
Block Rampur, Distt. Shimla

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम पंचायत, नीरथ
रामपुर जिला, शिमला (हि0प्र0)

E. R. K. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

Ven

Pradhi

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....नरोला
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....02

दिनांक.....07-01-2017

10/10.

वन अधिकार समिति ग्राम सभा.....चक नरोला की बैठक आज दिनांक.....07-01-2017
को.....11 बजे बजे, स्थान.....नरोला में श्री/श्रीमति.....

की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....नरोला गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....नरोला

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें SJVN विभाग द्वारा सुखी जंगल विद्युत परियोजना के
निर्माण के लिए.....0-8131 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त

इस गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

नरोला जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....नरोला

दिनांक.....07-01-2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

Prakash Kumar
प्रधान / सचिव
वन अधिकार समिति
चक नरोला

* ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है

अधीकृत साक्षर
अनम पंचायत, नीरथ
ब्लॉक रामपुर जिला शिमला (हिमाचल)

Chhachhiyath Nirath
Block Rampur, Distt. Shimla

En B. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP. Bithal

Prakash Kumar

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा नीरथ
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02
10/10

दिनांक 07-01-2017

वन अधिकार समिति ग्राम सभा चक नीरथ की बैठक आज दिनांक 07-01-2017
को 11 घाटा बजे, स्थान नीरथ में श्री/श्रीमति दिलेश देव शर्मा
की अध्यक्षता में की गई जिसमें चक नीरथ गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत नीरथ
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें SJVN विभाग द्वारा सुदवी जंगल विद्युत परियोजना के
निर्माण के लिए 34-51-65 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0: * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1.
2.
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

नीरथ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान नीरथ
दिनांक 07-01-2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा प्रधान

सचिव

वन अधिकार समिति
चक नीरथ तह0 रामपुर बुशहर

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वजली अधिकार सिंहप्रदे लिए
आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है

Prat
Gram Panchayat, Nirth
Block Rampur, Distt. Shimla

सचिव
ग्राम पंचायत, नीरथ
तह0 रामपुर थरत शिमला (हि0)

E. G. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा..... दत्तनगर
विकास खण्ड..... रामपुर..... जिला..... शिमला..... (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 29-05-2017

गणपूर्ति 230 / 433.....

प्रस्ताव संख्या 07.....

विषय: लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज-1 विभाग/संस्था को S.J.V.N.L.
के निर्माण हेतु अद्राश
..... जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 18.6373..... हैक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा दत्तनगर की बैठक आज दिनांक.....
को 10.30 बजे, स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय दत्तनगर में
की गई, जिसमें S.J.V.N.L. विभाग/संस्था को लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज-1
के निर्माण हेतु अद्राश जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....
18.6373 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 18.6373 हैक्टेयर वन भूमि को लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज-1 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा दत्तनगर की सहमति दी जाती है।

स्थान..... दत्तनगर
दिनांक 29-05-2017.....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

[Signature]
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दत्तनगर
विकास खण्ड रामपुर
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

[Signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत दत्तनगर
तह. रामपुर बुधौर जिला शिमला
(हिमाचल प्रदेश)

[Signature]
Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithur

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा अदराश
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 5/10/2016

ग्राम सभा अदराश की बैठक आज दिनांक 11.10 को अदराश बजे, स्थान अदराश में श्री/श्रीमति कुलदीप जोशी की अध्यक्षता में की गई जिसमें अदराश गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अदराश जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें SJVNL विभाग द्वारा सूक्ष्म उष्ण कटिबंधी प्रकृति के निर्माण के लिए 1.8 6373 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अदराश जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान अदराश
दिनांक _____
अधीकृत हस्ताक्षरक प्रधान
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा _____
ग्राम पंचायत दत्तनगर

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दत्तनगर
विकास खण्ड रामपुर
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

Er. P. L. Negi
Head of Project
SJVNL, LHEP, Bithal

(Handwritten signature)

Form-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No. 1779 /DRA

Dated:- 23/9/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **5.3514 Hect.** of forest land proposed to be diverted in favour of SJVNL, Luhari for construction of **Luhari SJVNL, Ist stage Forest Land Satiun, Phati Gadej, Sub Tehsil Nither** in Kullu district falls within jurisdiction of **Gram Panchayat Gadej** Village in **Anni** Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.3514 Hect.** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

HOP LHEP, Bithal
Diary No. 4308
Date: 4/10/17

Hob
Chopra (In-charge) / PPM
Singh (EWS)
DM
U/S
4/10/17

[Signature]
4/10/17
Er. S. L. Negi
Head of Project
SJVNL, LHEP, Bithal

[Signature]
(Yunus)
District Collector,
Kullu.
Deputy Commissioner
KULLU.


[Signature]

[Signature]

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Sh. Yunus, Deputy Commissioner, Kullu on 20-09-2017 at 4-00 PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in Gram Panchayat Gadej forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Kullu Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application :-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Admitted/Rejected)</u>
SJVNL, Luhari Place : Kullu Dated:	Admitted  DC-cum Chairman/Chairperson, District Level Committee, Kullu District HP.


R. K. Negi
Head of Project
SJVNL, LHEP, Bithal





OFFICE OF THE SDO CIVIL ANNI DISTRICT KULLU (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub -Division level committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.


A meeting of the Sub - Division level Committee of Anni Sub Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship / chairpersonship of Dr. Charanji Lal Chauhan SDO(C) Anni on 29-05-2017 at 11AM at Anni (Place) in which the application(s) claiming rights in the concerned forest areas under FRA, 2006, of the following application(s), duly processed and recommended by the forest right Committee of Gadej Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on the each application:-

Name of applicant	Decision (Admitted / Rejected)
-------------------	--------------------------------


1. Construction of Luhri SJVNL 1 st stage Forest Land Satiun Phati Gadej Sub Tehsil Nither Distt.Kullu.	Admitted
---	----------

Place Anni
Dated 29-05-2017


SDO (Civil)-cum Chairman
Sub Division Level Committee,
Sub Division Anni, Distt Kullu.


Er. R.L. Negi
Head of Project
SJVN. LHEP. Bithal





अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत..... रोड
विकास खण्ड..... निरमण्ड जिला..... कुल्लू (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/ श्रीमति..... पालराम

दिनांक..... 16-04-2017

गणपूर्ति..... 266/488

प्रस्ताव संख्या..... 06

विषय: S.I.V.N.L लुहरी विभाग/संस्था को जल विद्युत परिशिष्ट लुहरी
के निर्माण हेतु सतीवन (कोयला)
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 5.2514 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत..... रोड की बैठक आज
दिनांक..... 16-04-2017 को 11:00 बजे, स्थान..... ग्राम पंचायत
रोड में की गई, जिसमें S.I.V.N.L लुहरी विभाग/संस्था
को जल विद्युत परिशिष्ट लुहरी के निर्माण हेतु सतीवन, कोयला
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 5.2514 हैक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 5.2514 हैक्टेयर वन भूमि को S.I.V.N.L लुहरी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा..... रोड की सहमति दी जाती है।

स्थान..... सायल
दिनांक..... 16-04-2017

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत..... सायल जिला..... कुल्लू



स्तावर
दिनांक

E. R. L. Negi
Head of Project
S.I.V.N.L, LHEP, Bithal

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....गड्डेज

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....२

दिनांक.....23/3/2017

वन-अधिकार समिति, ग्राम सभा फारी गड्डेज की बैठक आज
दिनांक 23/3/2017 को 11-00 बजे, स्थान कोयल में

श्री/श्रीमति राजनीश कायथ की अध्यक्षता में की गई जिसमें कोयल

गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों
से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम

2006 के अन्तर्गत सतीशून (कोयल) जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन

अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें S.J.V.N.L. *बूही जल विद्युत परियोजना

के निर्माण के लिए 5.3514 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित
है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा
के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति.....का

जंगल/वन क्षेत्र में S.J.V.N.L. बूही जल विद्युत परियोजना के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार

सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप

खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती हैं/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान.....कोयल

दिनांक.....23/3/2017

Rajneesh
अध्यक्ष

वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गड्डेज, त.0 निरमण्ड
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

Kuldaj

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

सचिव
ग्राम पंचायत गड्डेज
वि.0 ख.0 निरमण्ड जि.0 कुल्लू (हि.प्र.)

ENR. L. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

Prakash

8-29

Form-II

(for projects other than linear projects)
Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No. 608 /DRA

Dated:- 28/07/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **37.4355 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **M/s Hydro Project SJVNL Luhari-I** in Kullu District falls within jurisdiction of **G.P. Dehra** Village(s) in **Nirmand** Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **37.4355 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C .
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out and that they have given their conditional consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. The conditional consent given by G.P. **Dehra** has been overruled by the Sub-Divisional Level Committee and Sub-Divisional Committee has recommended for issuance of this certificate under the FRA 2006.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their conditional consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.


E. R. L. Negi
Head of Project
SJVNL, LHEP, Bithal




(Yunus)
District Collector,
Kullu.



Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Sh. Yunus, Deputy Commissioner, Kullu on 09-03-2017 at 4:30 AM/PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in G.P. Dehra forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Anni Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application :-

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Admitted/Rejected)</u>
	M/s Hydro Project SJVNL Luhari-1 C/o Hydro Project SJVNL Luhari-1 Tehsil Nirmand.	Admitted

Place : Kullu

Dated:


DC-cum Chairman/Chairperson,
District Level Committee,
Kullu District HP.
COLLECTOR Kullu


Er. R. L. Negi
Head of Project
SJVNL, LHEP, Bithal



विभाग 09-03-2017 को अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की कार्यवाही) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत श्री सुनुसा, उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया :-

- श्री नीरज कुमार, वन गण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू।
- श्री सरोज भाई पटेल, वन गण्डल अधिकारी बन्जार जिला कुल्लू।
- श्री किशोरी लाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आरसू स्थित लूहरी।
- श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य।
- श्रीमति प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। उसके बाद अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की कार्यवाही) अधिनियम, 2006 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि निम्न प्रयोजनों हेतु जो वन भूमि हस्तान्तरित की जानी प्रस्तावित है, को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में निम्नलिखित योजनाओं (जिनमें ग्राम राभा तथा उप गण्डल स्तरीय कमेटी का अनुमोदन प्रमाण पत्र/सिफारिश सलग्न है) के लिए प्रस्तावित वन भूमि के उपरोक्त अधिनियम हेतु समाप्त में विचार विमर्श किया गया :-

Name of Company / Department	Purpose	Area	Name of Gram Sabha/Nagar Panchayat	Name of Sub-Divisional Level Committee.
District panchayat Officer Kullu	Construction of Malot Thach Dragi-Ra-Shoran to ShyamNagar Road	4-2 Bighas	Manjhali 35/67	Kullu
District panchayat Officer Kullu	Construction of Jeep Road Manglashwar Temple to Suani Badi Nali and Scia Badathach.	00.00.85 Bighas	Ratocha 186/348	Kullu
District panchayat Officer Kullu	Construction of Dumping Site	4-16 Bighas	Kasol 295/581	Kullu
District panchayat Officer Kullu	Construction of Parking	4-00-00 Bighas	Kasol 295/581	Kullu
Education Department	Construction of GPS Building Banogi	0.08.59 Hec.	Banogi 159/214	Kullu

Er. R. L. ...
Head of Project

COLLECTOR KULLU

7	Executive Engineer, HPSEBL Larji	Construction of 11 KV Ht Line to the un-electricified Villages Shagor, Shakti & Marror	2.1825 Hec.	Gadaparli 141/270	Banjar
8	Executive Engineer, Outer Seraj Division HPPWD Nirmand	Construction of Tiluna to Nishani (Baddal) Road	2.43 Hec.	Taluna 299/460	Anni
9	M/s Dev Bhumi Hydro Power Project Ltd Kandugad	Construction of Dev Bhumi Hydro project.	1 Hec.	Karana 324/633	Anni
10	Executive Engineer, I&PH Division Anni	Construction of Ground Water Supply Scheme Thachwa to Jagatkhana	0.0769 Hec.	Tunan 380/580	Anni
11	Executive Engineer, Outer Seraj Division HPPWD Nirmand	Construction of Koil to Bashla road, Tehsil Nirmand.	7.929 Hec.	Shilli 214/420	Anni
12	Education Department	Construction of Building G. D. Collage Nirmand	11.18 Bighas	Bhalsi 392/704	Anni
13	M/s Hydro Project SJVNL Luhari-I	Construction of Hydro Project SJVNL Luhari-I Tehsil Nirmand	37.4355 Hec.	Dehra 363/590	Anni
14	M/s Paras Stone Crusher, VPO Burwa, Tehsil	Construction of Stone Crusher.	02.17.54 Hec	Palchan 138/265	Manali
15	M/s Jawala Hydro Power Project Pvt. Ltd.	Construction of Small Hydro Project	02.17.60 Hec.	Prini 71/140	Manali
16	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-96-70 Hec.	Hat 715/1420	Kullu
17	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1-31-66 Hec.	Naraish 585/1150	Kullu
18	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-74-43 Hec.	Bashona 555/1142	Kullu
19	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	01-22-60 Hec.	Bada Bhuien 712/1400	Kullu
20	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-90-58 Hec.	Jia 544/1087	Kullu

[Signature]
 E. R. L. N. ...
 Head of Project
 SJVN, LHEP, Bilal

[Signature]
 COLLECTOR Kullu

	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Banotar 2-85-94 Hec. 2. Dobhi Chowki 1.00.77 Hec. 3. Gharkar 1.41.50 Hec. Total= 5-28-21 Hec.	Puid 218/420 208/405 134/260	Kullu
21	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1.23.06 Hec.	Neoli 69/136	Kullu
22	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-80-06 Hec.	Khoti Sari 753/1502	Kullu
23	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-40-78 Hec.	Jindour 124/195	Kullu
24	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1-67-47 Hec.	Nalhach 147/291	Kullu
25	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Maltribag 1-39-83 Hec. 2. Harabag 0-69-96 Hec. 3. Nagabag 0-04-67 Hec. Total= 2-14-46 Hec.	Bandrol 527/1023	Kullu
26	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Pangha 0-62-11 Hec. 2. Chattanseri 0-19-61 Hec. 3. Raison 0-10-21 Hec. Total= 0-91-93 Hec.	Raison 112/223 110/207 285/570	Kullu
27	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1-18-06 Hec.	Shirar 130/162	Kullu
28	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1-91-49 Hec.	Devgarh 130/190	Kullu


Er. R. L. N. Head of Project SJVN, CHEP, Bithal

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
COLLECTOR Kullu

29	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-23-48 Hec.	Mandalgarh 426/846	Kullu
30	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-47-04 Hec.	Dawara 430/856	Kullu
31	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Katrain 0-02-90 Hec. 2. Jatehar 1-21-23 Hec Total= 1-24-13 Hec	Katrain 625/1161 570/1140	Kullu
32	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1-05-56 Hec.	Hallan-II 388/719	Manali
33	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	3-85-87 Hec.	Baragran 725/1236	Manali
34	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Pangan 1-34-96 Hec 2. Gumidhar 0-71-38 Hec. Total= 2-06-34 Hec	Pangan 322/617	Manali
35	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Bran 1-72-54 Hec. 2. Rampur 0-73-37 Hec 3. Dobha 0-22-17 Hec. Total= 2-68-08 Hec	Baran 185/360	Manali


COLLECTOR Kullu


E. L. Negi
Head of Project
KVVN IHEP Rural

	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	1. Shaleen 0-62-44 Hec. 2. Kalath 1-95-14 Hec. 3. Parsha 2-80-32 4. Gadherni 1-79-69 Hec. Total= 7-17-59 Hec	Shaleen 84/138 84/136 75/149 70/103	Manali
37	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-84-70 Hec.	Nasogi 130/254	Manali
38	National Highways Authority of India	Construction of Four Lane Road.	0-68-72 Hec.	Vashisht 155/306	Manali

उपरोक्त मद संख्या को समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

पृष्ठांक संख्या
प्रतिलिपि :-

574-78 / डी0आर0ए0

दिनांक:-

27/03/2017

1. डा0 नीरज कुमार, वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू।
2. श्री सरोज भाई पटेल, वन मण्डल अधिकारी बन्जार जिला कुल्लू।
3. श्री किशोरी लाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आरसू स्थित लूहरी।
4. श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य
5. श्रीमति प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।

(यन्तुस)
उपायुक्त कुल्लू।
COLLECTOR Kullu

Er. P. Negi
Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal

P-22

(2)

OFFICE OF THE SDO CIVIL ANNI DISTRICT KULLU (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub- Division level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the Sub-Division committee of Anni Sub Division , constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Charanji Lal Chauhan SDO(C) Anni on 21-12-2016 11:00 A.M. at Anni (place) in which the application(s) claiming rights in the concerned forest areas under FRA,2006 of the following application(s), duly processed and recommended by the forest right Committee of Dehra. Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on the each application:-

Name of applicant

Decision(Admitted/Rejected)

1. Construction of Hydro Project SJVNL Luhri -I Tehsil Nirmand.

Place Anni
Dated 21-12-2016

**SDO(Civil)-cum Chairman
Sub Division level Committee,
Sub Division Anni, Dist. Kullu.**

Dr. Charanji Lal Chauhan

Dr. Charanji Lal Chauhan

**Er. R. Negi
Head of Project
SJVNL, LHEP, Bilthal**

PA

821

Annexure - B

कार्यालय ग्राम पंचायत देहरा
विकास खण्ड निरमण्ड जिला कुल्लू हि0प्र0
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या 10 जो ग्राम सभा की बैठक में दिनांक 21/11/11 को

363/590 सदस्यों की उपस्थिति में प्रधान श्रीमति जयोज बान की अध्यक्षता में पारित किया गया ।

विषय SJVNL लुहरी के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में प्रस्तावित 37-4355 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र वारे विचार

ग्राम सभा की बैठक में SJVNL लुहरी के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में प्रस्तावित 37-4355 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई ।

ग्राम सभा ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से निर्णय लिया कि ग्राम सभा को उपरोक्त कार्य हेतु भूमि दिए जाने पर कोई आपति नहीं है ।

ग्राम सभा की बैठक में अनुसूचितजाति जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से निर्णय लिया कि उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जाए । ग्राम सभा की इस में कोई भी आपति नहीं है । तथा प्रस्तावित 37-4355 हेक्टेयर वन भूमि को SJVNL लुहरी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल कार्यवाही रजि0 अनुसार ही है

Er. P. L. Negi
Head of Project
SJVNL, LHEP, Bithur

Secretary
Gram Panchayat
Dehra

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा निम्हा-देहरा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01
14/16

दिनांक 02/10/2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा निम्हा देहरा की बैठक आज दिनांक 2-10-2016 को 2:00 बजे, स्थान निम्हा में श्री/श्रीमति अजीत ठाकुर की अध्यक्षता में की गई जिसमें निम्हा-देहरा गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निम्हा-देहरा जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें सुंदरी जंगल विद्युत परियोजना चरण-I के निर्माण के लिए 37.43.55 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति एच.जे.पी.एन.एल को जंगल/वन क्षेत्र में निम्हा-वाथ के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान निम्हा
दिनांक 2/10/2016

(Signature)
वन अधिकार समिति (FRA)
ग्राम पंचायत निम्हा / देहरा
निम्हा, जिला कुल्ना (दि.प्र.)

(Signature)
वन अधिकार समिति (FRA)
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
निम्हा पंचायत, जिला कुल्ना (दि.प्र.)

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।